## Government of India (Bharat Sarkar) Ministry of Railways (Rail Mantralaya) (Railway Board)

No.91/TG.IV/10/P/Cloak Room Charges.

New Delhi, dated \9.08.2011

The General Managers (Commercial), All Zonal Railways.

Sub:- Cloak Room facility at stations.

The procedure regarding Cloak Room facility for passengers which has been dealt with in Coaching Tariff No.36 Part I Vol.I (Rule No.519) and IRCM Vol.I (Rule No.832) has been reviewed and it has been decided that (i) the facility should be restricted for a maximum of 7 (seven) days instead of 30 (thirty) days at present and (ii) Passengers should produce Identity Card such as Passport, Pan Card, Driving License, Ration Card, Voters Identity Card or Bank Pass Book if certified with photo while depositing their luggage in the Cloak Room.

- 2. This will come with effect from 15.09.2011.
- 3. Necessary instructions may be Issued to all concerned and receipt of this letter acknowledged. Wide publicity may also be given.

(V.K. SHARMA)

Director, Traffic Commercial/G-II

Railway Board.

No.91/TG.IV/10/P/Cloak Room Charges

New Delhi, dated \ 9.08.2011.

## Copy to:

- 1. Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.
- 2. FA&CAOs, All Zonal Railways.
- 3. Principal Auditors, All Zonal Railways.
- 4. F(C) Branch, Railway Board.

for Financial Commissioner, Railways

## भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 91/टीजी-IV/10/पी/क्लॉक रूम चार्जस

नई दिल्ली, दिनांक: \१ .08.2011

महाप्रबंधक (वाणिज्य), सभी क्षेत्रीय रेलें।

विषयः स्टेशनों पर क्लॉक रूम सुविधाएं।

यात्रियों के लिए क्लॉक रूम सुविधा संबंधी प्रक्रिया जिसे कोचिंग टैरिफ सं. 36 पार्ट-I वॉल्यूम-I (नियम सं. 51**9**) और आईआरसीएम वॉल्यूम-I (नियम सं. 832) में डील किया गया है, की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि (i) फिलहाल इस सुविधा को मौजूदा 30 (तीस) दिन के स्थान पर अधिकतम 7 (सात) दिन के लिए सीमित किया जाए और (ii) यात्रियों को क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराते समय फोटो वाले सत्यापित पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र अथवा बैंक पास बुक जैसे पहचान पत्र प्रस्तुत करने चाहिएं।

- 2. यह 15.09.2011 से प्रभावी होगा।
- 3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं और इस पत्र की पावती दें। इसका व्यापक प्रचार भी किया जाए।

(वी.के. शर्मा)

निदेशक यातायात वाणिज्य/सा-II

रेलवे बोर्ड

सं. 91/टीजी-IV/10/पी/क्लॉक रूम चार्जस प्रतिलिपि प्रेषित: नई दिल्ली, दिनांक: 🐧 .08.2011

- 1. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 3. प्रमुख लेखा परीक्षक, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 4. वित्त (वाणिज्य) शाखा, रेलवे बोर्ड।

कृते वित्त आयुर्वतं, रेलवे बोर्ड